

प्राचीन स्मारकों एवं स्थलों के आस-पास संरचनाओं की अनुमति

चर्चा में क्यों ?

प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के आसपास नषिद्ध क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिलनी चाहिये। इस संबंध में लोकसभा में लंबित 'प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 2017 (The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017) इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 2017 प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
- इसमें प्रतर्बिधति स्थलों पर सार्वजनिक रूप से आवश्यक निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के लिये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 में नमिनलखिति संशोधनों को मंजूरी दी गई है-
- अधिनियम की धारा 2 में 'लोक कार्य' की नई परभाषा शामिल करना।
- अधिनियम की धारा 20(A) में संशोधन, जिससे कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के कार्यालय को केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रतर्बिधति क्षेत्र में लोक कार्य करने हेतु दिया जा सके।
- मुख्य अधिनियम की धारा 20(I) में नया खंड जोड़ना।

संशोधन की आवश्यकता क्यों ?

- उल्लेखनीय है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (वर्ष 2010 में यथा संशोधित) केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों /स्थलों के नषिद्ध क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने का प्रतर्बिध करता है।
- नषिद्ध क्षेत्र में नए निर्माण कार्य के प्रतर्बिध से केंद्र सरकार के विभिन्न लोक कार्यों और विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रतर्कूल प्रभाव पड़ रहा है।
- इस संशोधन से प्रतर्बिधति स्थान पर सार्वजनिक रूप से आवश्यक निर्माण कार्यों और परियोजनाओं के लिये सख्त रूप से सीमति कुछ निर्माण कार्य किये जा सकेंगे।

प्राचीन स्मारकों की परभाषा

- प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 प्राचीन स्मारकों को इस प्रकार परभाषित करता है- कोई संरचना, निर्माण, स्मारक, स्तूप, कब्रगाह, गुफा, शैल मूर्तकिला, ऐतहिसिक शिलालेख या केवल पत्थर का खंभा, जो पुरातात्विक या कलात्मक रुचिका है और जो कम से कम सौ वर्षों से वदियमान है, प्राचीन स्मारक है।